

कार्यालय-जिलाधिकारी, लखनऊ।

संख्या-1730/आठ-अ0जि0अ0 (भू0अ0) शा0सहा0परि0 लखनऊ

दिनांक-23 मार्च 2019

अधिसूचना

भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-4 भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार (उत्तर प्रदेश) नियमावली-2016 नियम 3(1) के अधीन राज्यपाल सर्वसाधारण की सूचना के लिए अधिसूचित करते हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि लोक प्रयोजन अर्थात् जिला लखनऊ में कमाण्डो टेनिंग सेन्टर (ए0टी0एस0) की स्थापना हेतु स्थाई रूप से आवश्यकता है।

भूमि अर्जन पुर्नवासन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्राविधान के अन्तर्गत भूमि अर्जन की कार्यवाही से पूर्व चयनित एजेन्सी एस0आर0 एशिया, कारपोरेट आफिस-4 सीएस-25, अंसल प्लाजा, वैशाली, गाजियाबाद द्वारा लोक हित में सामाजिक समाघात आंकलन (Social Impact Assessment) किया जायेगा, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

01	अर्जन निकाय का नाम	पुलिस महानिरीक्षक, आतंकवाद निरोधक दस्ता (ए0टी0एस0) उत्तर प्रदेश, लखनऊ
02	प्रस्तावित भूमि के अर्जन का उद्देश्य	कमाण्डो टेनिंग सेन्टर (ए0टी0एस0) की स्थापना हेतु
03	संगठन जिसके द्वारा अध्ययन किया जायेगा।	एस0आर0 एशिया, कारपोरेट आफिस-4 सीएस-25, अंसल प्लाजा, वैशाली, गाजियाबाद
04	संगठन का सम्पर्क विवरण	एस0आर0 एशिया, कारपोरेट आफिस-4 सीएस-25, अंसल प्लाजा, वैशाली, गाजियाबाद

भूमि का विवरण

क्र0	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे0 में)
01	लखनऊ	सरोजनीनगर	बेहटवा	64	4.475
02				72	0.013
03				77	0.089
04				79	0.177
05				80	0.506
06				82	0.013
07				84	0.063
08				85	0.038
09				86	0.051
10				88क	0.266
11				93	0.146
12				94	0.152
13				99	0.101
14				101	0.190
15				102क	0.086
16				102ख	0.085
17				105 क	0.089
18				105ख	0.099
19				106	0.182
20				108 क	0.063
21				108ख	0.057
22				108ग	0.164
23				108घ	0.063

24				108ड	0.095
25				109	0.063
26				112	0.253
27				113	0.104
28				114	0.351
29				115	0.051
30				116 क	0.360
31				116ख	0.107
32				117	0.108
33				118	0.136
34				119	0.101
35				120	0.177
36				121क	0.025
37				121ख	0.069
38				122	0.095
39				123	0.102
40				124	0.263
41				125	0.114
42				126	0.253
43				127	0.206
44				144	0.304
45				145स	1.6475
46				146	0.051
47				150	0.164
48				152	0.164
49				154	0.114
50				155	0.872
51				156	1.620
52				162स	0.1516
53				163स	0.1275
				योग	15.4166 हे०
01			अनौरा	714	0.219
02				715	0.122
03				716	0.127
04				717	0.347
05				718	0.922
06				719 सं०	0.506
07				720	0.107
08				721	0.038
09				722	0.050
10				723	0.118
11				725	0.076
12				728	0.975
13				731	0.526
14				732	0.117
15				733स	0.632
16				735स	0.158
17				736	0.305
18				737क	0.126
19				739स	0.405
20				750	1.405
21				752	0.017
22				753	0.248
23				754	0.227
24				755	0.192
25				756	0.339
26				823	0.262
27				824	0.904

28				825	1.558
29				826	0.344
30				827	0.295
				योग	11.667 हे०
				सकल योग	27.0836 हे०

01. यह कमाण्डो टेनिंग सेन्टर (ए०टी०एस०) प्रदेश का एक मात्र कमाण्डो टेनिंग सेन्टर है, जिसकी स्थापना वर्ष 2011 में उ०प्र० सरकार द्वारा जनहित में की गई थी, के पास वर्तमान में 16.000 हे० भूमि उपलब्ध है । उक्त कमाण्डो टेनिंग सेन्टर (ए०टी०एस०) के विस्तारीकरण हेतु 27.0836 हे० भूमि का अधिग्रहण आवश्यक है ।
02. प्रस्तावित कमाण्डो टेनिंग सेन्टर (ए०टी०एस०) ग्राम बेहटवा क्षेत्र 15.4166 हे० व ग्राम अनौरा क्षेत्र 11.667 हे० परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर, जिला लखनऊ में 27.0836 हे० भूमि का अर्जन प्रभावित है ।
03. परियोजना के संरेखण में आने वाली ग्राम सभा की भूमि का पुर्नग्रहण की कार्यवाही अलग से प्रचलित है, अवशेष भूमि अर्जन के माध्यम से लिया जाना प्रस्तावित है । सामाजिक समाघात आंकलन हेतु चयनित एजेन्सी (एस०आर० एशिया, कारपोरेट आफिस-4 सीएस-25, अंसल प्लाजा, वैशाली, गाजियाबाद) द्वारा सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना निर्धारित समय सीमा के अन्दर (टी०ओ०आर० के अनुसार) अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी ।
04. सामाजिक समाघात का निर्धारण अधिकतम 56 दिनों के अन्दर (अधिसूचना की तिथि से) पूर्ण कराया जाना है ।

टिप्पणी:- उक्त परियोजना सम्बन्धी विस्तृत विवरण कलेक्टर (भूमि अर्जन प्रयोजनार्थ) अपर जिलाधिकारी (भू०अ०) शारदा सहायक परियोजना, कक्ष संख्या-40 कलेक्ट्रेट, लखनऊ के कार्यालय में सभी कार्य दिवसों में देखा/प्राप्त किया जा सकता है ।

(कौशल राज शर्मा)
जिलाधिकारी,
लखनऊ

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार ।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. अपर मुख्य सचिव, राजस्व अनुभाग-13 उ०प्र० शासन, लखनऊ ।
2. प्रमुख सचिव, गृह उत्तर प्रदेश शासन, पुलिस अनुभाग-7 लखनऊ ।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
4. निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
5. मण्डलायुक्त, लखनऊ ।
6. स्टाफ आफिसर, मा० मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन, लखनऊ ।
7. पुलिस महानिरीक्षक, आंतकवाद निरोधक दस्ता (ए०टी०एस०) उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
8. निदेशक (एस०आर० एशिया, कारपोरेट आफिस-4 सीएस-25, अंसल प्लाजा, वैशाली, गाजियाबाद ।

(कौशल राज शर्मा)
जिलाधिकारी,
लखनऊ